नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Bilaspur City - 15 Jul 2025 - 15nya6
epaper.navabharat.news

अस्पतालों में अव्यवस्था पर हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग

मरीजों के परिजन परेशान, अब सुनवाई अगले माह

नवभारत रिपोर्टर। बिलासपुर।

सिम्स में अव्यवस्था को लेकर चल रही जनहित याचिका के साथ डीकेएस अस्पताल रायपुर में मरीजों के परिजनों के रहने का इंतजाम नहीं होने पर भी संज्ञान लिया गया है। हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होने के बाद इसे मानिटरिंग के लिए अगले माह के लिए निर्धारित किया गया है।

एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि, मरीजों के साथ आए तीमारदार खुले आसमान के नीचे रहते हैं और वे डीकेएस अस्पताल के पार्किंग क्षेत्र में ही रह रहे हैं। इस मामले को गत माह सुनवाई में सूचीबद्ध किया गया। उपरोक्त समाचार रिपोर्ट के अनुसार, मरीजों के तीमारदारों को कूलर और पंखे की सुविधा के बिना पार्किंग क्षेत्र/खुले स्थान/बरामदे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। समाचार रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उक्त अस्पताल का उपयोगिता क्षेत्र कई वर्षों से बंद है। डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक का बयान भी प्रकाशित हुआ है, जिन्होंने बताया था कि ऊपरी मंजिल पर मरीजों के तीमारदारों के लिए एक हॉल की व्यवस्था की गई है और शेड के निर्माण की भी योजना है।अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि मरीजों के परिचारकों के लिए आवास निर्माण की योजना है और इस संबंध में बैठकें आयोजित की गई हैं। आज चीफजस्टिस की डीबी में हुई सुनवाई के बाद शासन की ओर से बताया गया कि ,संबंधित अस्पतालों के अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा चुका है कि अस्पताल के मानदंडों के अनुसार परिचारकों को अस्पताल परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाए और परिचारकों को यह भी अवगत कराया जाए कि मरीजों के साथ केवल दो परिचारकों का ही रहना आवश्यक है और मरीजों और अन्य व्यक्तियों के परिचारकों द्वारा किए गए किसी भी अतिक्रमण से दोनों अस्पतालों में आए मरीजों और अन्य व्यक्तियों को असुविधा हो सकती है इसके अलावा अन्य आवश्यक व्यवस्था परिजनों के लिए की जा रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले को मानिटरिंग के लिए अगले माह सुनवाई हेतु निर्धारित किया है ।